200

हिमाचल प्रदेश सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ।

संख्याःआई0टी0–बी(3)–1/2004 तारीख शिमला–2, 31st मई,2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त निदेशक, वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा
प्रधान सचिव, (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

201

पृष्ठांकन सख्याः यथोपरि।   तारीख शिमला-2   31st मई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-परामर्शी), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 ।
2. उप सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।
3. उप सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 ।
4. निजी सचिव (मुख्य मन्त्री), हिमाचल प्रदेश शिमला-2 ।
5. निजी सचिव (मुख्य सचिव), हिमाचल प्रदेश शिमला-2 ।
6. महालेखाकार, (लेखा परिक्षा), हिमाचल प्रदेश शिमला-2 ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग शिमला-2 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
8. निदेशक सूचना प्रौधोगिकी विभाग, शिमला-13।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 ।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड), हिमाचल प्रदेश सचिवालय,शिमला-2।

(चमन दिलटा)
संयुक्त सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध– ''क''

हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, में अतिरिक्त निदेशक, वर्ग–1 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नाम	:	अतिरिक्त निदेशक।
2	पद (पदों) की संख्या	:	01 (एक)।
3	वर्गीकरण	:	वर्ग–1 (राजपत्रित)।
4	वेतनमान	:	पे बैण्ड 37,000–67000/– रूपए जमा 8700/– रूपए ग्रेड पे।
5	''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद	:	चयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु	:	लागू नहीं।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता (एं)	:	लागू नहीं।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता	:	शतप्रतिशत प्रोन्नति भर्ती द्वारा ।

203

11 प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	:	संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौघोगिकी में से प्रोन्नति द्वारा जिसका तीन (03) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगतार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सम्मिलित करके तीन (03) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर संयुक्त निदेशक में से प्रोन्नति द्वारा जिसका संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौघोगिकी और उप निदेशक, सूचना प्रौघोगिकी के रूप में संयुक्ततः छह (06) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह (06) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौघोगिकी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगीः

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगतार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, की सम्भरक(पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की

204

अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः–अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगतार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना	:	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हों।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	:	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वरा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	:	लागू नहीं।
16	आरक्षण	:	सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए

205

		आदेशों के अधीन होगी।
17 विभागीय परीक्षा	:	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।
18 शिथिल करने की शक्ति	:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी /किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

***